न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः– उम्मेदीलाल मीना आर.ए.एस.

अपील सं. 10 / 2024
स्टेट जरिये प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ

प्रार्थी

बनाम

शेर अली पुत्र हाकिम खां उचित मूल्य दुकानदार, किकरवाली तह0 संगरिया जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

मुकदमा अर्न्तगत धारा 6 ए ई0सी एक्ट

उपस्थितः–1 श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधि0।
2 श्रीमती शकुन्तला भाटीवाल अभि0 अप्रार्थी।

–ःनिर्णयः–

दिनांकः –17.12.2024

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 06.09.2024 को जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ हमराह प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा ग्राम किकरवाली के उचित मूल्य दुकानदार शेर अली पुत्र हाकिम खा (पोस कोड 21416) की दुकान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उक्त उचित मूल्य दुकान में 6.50 क्विंटल गेहू स्टॉक में अधिक पाया गया। स्टॉक में अधिक पाया गया उक्त 6.50 क्विंटल गेहूं जब्त किया गया। जब्त किया गया 6.50 क्विंटल मोहन सिंह पुत्र जंगसिंह उचित मूल्य दुकानदार, किकरावाली तहसील संगरिया की सुपुर्दगी में दिया गया। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा स्टॉक में अधिक गेहूं रखकर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र के शर्तों का उल्लंघन किया गया है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दंडनीय अपराध है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त जब्तशुदा 6.50 क्विंटल गेहूं को राजसात करने के आदेश फरमावें तथा उक्त सामग्री के अन्तरिम निस्तारण हेतु आदेश प्रदान करने का श्रम करावें।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आये।

अप्रार्थी ने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि दुकान पर स्टॉक प्रदर्शन बोर्ड संधारित किया हुआ है तथा मौका पर बोर्ड दुकान की दीवार पर लगा दिया गया है। जांच के वक्त जो गेहूं दुकान मे रखा हुआ था, वो ग्राहको को पॉश मशीन द्वारा वितरित किंया गया [illegible] शुक्रवार का दिन था तथा अधिकतर उपभोक्ता मुस्लिम समाज के थे जो गे[illegible]द [illegible]ने जाने का कहकर नमाज पढने चले गये थे। इसके समर्थन में ग्राम पंचायत [illegible] द्वारा अपना स्पष्टीकरण लिखित मे दिया गया हैं जो पत्रावली संलग्न [illegible] के पास कोई बकरी [illegible] अप्रार्थी के पडौसी के पास बकरीयां है, पडौसी को [illegible] बार समझाने पर भी वह [illegible] को बांध कर नही रखता। आयंदा से अप्रार्थी गेहूं को इन बकरीयों से सुरक्षित रखेगा। अतः निवेदन किया कि नोटिस हाजा की कार्यवाही ड्रोप फरमाई जावे व जब्त शुदा गेहूं अप्रार्थी को लौटायी जावे जिससे कि पॉश मशीन की वितरित पर्चीयों अनुसार गेहू

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.01.07 11:46:53 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

ग्राहकों को लौटायी जा सके तथा मेरा मूल अनुज्ञा पत्र बहाल कर अनुज्ञा पत्र व पॉश मशीन व वितरण कार्य अप्रार्थी को लौटाया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने एकपक्षीय बहस में कथन किया है कि प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ द्वारा मौके पर स्टॉक में अधिक पाया गया उक्त 6.50 क्विंटल गेहूं जब्त किया गया। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा स्टॉक में अधिक गेहूं रखकर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र के शर्तों का उल्लंघन किया गया है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दंडनीय अपराध है। इसलिए जब्तशुदा उक्त 6.50 क्विंटल गेहूं राजसात किया जाये।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि:–

1. स्टेट जरिये प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ द्वारा जब्ती के समय स्टॉक में अधिक पाया गया उक्त 6.50 क्विंटल गेहूं जब्त किया गया।
2. अप्रार्थी के जवाब नोटिस के अनुसार अप्रार्थी द्वारा गेहूं वितरण पोस मशीन की वितरीत पर्चीयों के अनुसार गेहूं ग्राहकों के राशन कार्ड नम्बर के द्वारा किया गया है, जो कि वर्तमान गेहूं वितरण की मान्यता नहीं है।
3. जब्ती के समय अप्रार्थी की पोस मशीन खराब नहीं थी और ना ही अप्रार्थी की पोस मशीन खराब होने की सूचना पत्रावली में संलग्न नहीं है। यदि पोस मशीन सही थी, तो उक्त गेहूं वितरण की पद्धती की आवश्यकता क्यों पड़ी?
4. उचित मूल्य दुकानदार द्वारा स्टॉक में अधिक गेहूं रखकर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र के शर्तों का उल्लंघन किया गया है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दंडनीय अपराध है। जिसके लिए अप्रार्थी दोषी है।

अतः जब्तशुदा उक्त 6.50 क्विंटल गेहूं को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को निर्देशित किया जाता है कि निस्तारण से प्राप्त राशि को राज्य के राजकोष में जमा कर चालान नम्बर व दिनांक सहित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदीलाल मीना)
अपर जिला कलक्टर एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.01.07 11:46:53 IST
Reason: SelfAttested